न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 48/2016

GCMS : 2016/00540

-:: प्रार्थी ::-

1. मोहन पुत्र मिसरू के का0 मु0
   1/1. सीतादेवी पत्नि मोहन
   1/2. राजूराम पुत्र मोहन
   1/3. सुरेन्द्र पुत्र मोहन
   1/4 भरत पुत्र मोहन
2. नाथू पुत्र प्रभु
3. भैरू पुत्र हरलाल
   जातियान- मेघवाल
4. ढ़गलाराम पुत्र धूलदास के का0मु0
   4/1. सजनीदेवी पत्नि ढ़गलादास
   4/2. हनुमान पुत्र ढ़गलादास
   4/3 विष्णु पुत्र ढ़गलादास
   जातियान- कामड़,
   सभी निवासीगण- रास,
   तहसील-जैतारण जिला-पाली राज0।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ
2. सरदारनाथ पुत्र सोहननाथ
   जाति- कालबेलिया, निवासी- रास,
3. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू-: 18/03/2016**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. नितेश चौहान, भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक-: 13/10/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि यह है कि सरहद मौजा रास प्रथम में वर्तमान जमाबन्दी मे ख0नं0 316/2 रकबा 3-18 बीघा(0.6313), किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि स्थित है जो गैरसायल संख्या एक के नाम जमावन्दी में दर्ज है। जो एक गलत इन्दाज चला आ रहा है। जो काबिल दुरुरत के है। नकल जमाबन्दी संवत 2009 से 2070 की संलग्न है। सरहद मौजा रास प्रथम मे स्थित ख0न0 315/2 रकबा 3-18 बीघा कृषि भूमि को गैरसायल संख्या एक ने जरिये विक्रय विलेख के सायल संख्या 1/1 के पति व 1/2 से 1/4 के पिता, सायल संख्या तीन व चार तथा सायल संख्या 4/1 के पति व 4/2 से 4/3 के पिता तथा शंकर पुत्र हीरा व हीरा पुत्र लि[illegible] से प्रतिफल की राशि रूपये 4,000 अक्षरे चार हजार रूपये [illegible]

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.10.22 12:16:05 IST
Reason: SelfAttested

1985 को बेचान कर दी व मौके पर भौतिक रूप से कब्जा भी संभला दिया तब से क्रय की गयी कृषि भूमि पर सायलान का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है व उपयोग उपभोग कर रहे है। नकल विक्रय विलेख दिनांक 29.06.1985 की पेश है। सायलान् ने तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी पटवारी आर आई को अपने द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री की नकल दे दी तब रेवेन्यु एजेन्सी ने कहा कि तुम्हारा नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे दर्ज कर देगे। इस प्रकार सायलान अनपढ होने की वजह से व कानूनी जानकारी नहीं होने से निश्चित हो गये कि हमारा नाम जमाबन्दी मे दर्ज हो गया है। सायलान द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि पर पिछले 30 वर्ष 09 माह से शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के निरन्तर रूप से काबिज होकर काश्त करते है उक्त भूमि जो कि पूर्व मे उबड़ खाबड़ पत्थरीली थी जिस पर लाखो रुपये खर्च कर मिट्टी डालकर उपजाऊ व कीमती बनाया चारो और पत्थरों की दीवार की व विकास किया। इस कृषि भूमि पर होने चाली आय से अनाज हेतु भण्डारण पशुओ के लिये काउशेड अपने लिये आवास आदि बनाये। उक्त सम्पूर्ण बातो की जानकारी गैरसायल संख्या एक को चली आ रही है। सायलान् की भूमि पर दिनांक 10.03.2016 को गैरसायलान् मौके पर आये व सायलान् को उक्त भूमि को खाली करने व कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी व यह भी कहा कि उक्त भूमि में तुम्हारा नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं है तथा हम कब्जा करेगे, तब सायलान् ने राजस्व रेकर्ड देखा तब उक्त तथ्यों की जानकारी हुई कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। गैरसायल संख्या एक द्वारा सायलान को प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि बेचान करने के बाद भी पुनः दुबारा गैरसायल संख्या एक ने गैरसायल संख्या दो जो कि उसका पुत्र है उससे उक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि को दिनांक 04६03६2016 को उपपंजीयन कार्यालय जैतारण मे आकर बेचान रजिस्ट्री भी निष्पादित करवा दी। सायलान् को उक्त कथनो की जानकारी भी बाद में मिली। इस प्रकार गैरसायल संख्या ने साथ बहुमूल्य आराजी को हडपने की नियत से दुबारा अपने पुत्र गैरसायल संख्या दो को बेचान रजिस्ट्री करवा दी व धोखाधड़ी की, तब सायलान् ने यह प्रार्थनापत्र विरुद्ध गैरसायलान् के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। सायलान् का अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि में जमाबन्दी में नाम दर्ज नही होता है तो व गैरसायल संख्या एक मात्र लाठी के बल पर सायलान् को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान् अपने जायज हक व अधिकारी से महरूम होगें असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत मे संभव नही हो सकेगी। इसलिए उपरोक्त कारणों से सायलान ने अपने द्वारा क्रय की गयी भूमि में अपने हिस्से तक अपना नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। इसके अतिरिक्त भी गैरसायल संख्या एक ने सायलान को ज्योही अपनी कृषि भूमि को बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवा दी तब से ही कानूनन यह उपधारणा मानी जाती है कि विक्रेता द्वारा बेचान की गयी भूमि पर क्रेता आसीन हो गये है व उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि के क्रेता शंकरलाल मे गैरसायल के विरुद्ध श्रीमान् के न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संख्या 04/2016

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.10.22 12:16:05 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ान शंकरलाल बनाम सोहननाथ वगैरा का प्रस्तुत कर रखा है। जिसमे टी आई प्रार्थनापत्र मे श्रीमान् द्वारा सुनवाई कर उक्त भूमि बाबत् आगामी आदेश तक कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करने व मौके पर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु का भी आदेश दिनांक 13.01.2016 को पारित किया नकल आदेश पेश है। तथ्यो, परिस्थितियों, दस्तावेजात से प्रथम दृष्ट्यिां मामला सायलान् के पक्ष मे प्रमाणित है तथा मौके पर सायलान् बिना किसी रोकटोक शांतिपूर्वक कब्जा व उपयोग उपभोग होने से सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान् पक्ष मे है तथा सायलान् द्वारा क्रय की गयी भूमि मे सायलान् का नाम दर्ज नही होता है एवं गैरसायलान् जोर जबरदस्ती लाठी व ताकत के बल पर सायलान् को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान अपने जायज हक हकूको से महरूम हो जायेगे व सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूति किसी कदर संभव नही हो सकेगी। इस कारण से गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने हेतु एक मात्र विकल्प यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करने का होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे से सायलान् अपने हक हिस्से की भूमि मे काश्त मुतालिक कुल कार्य करे या करावे तथा उसमे बने काउसेड व रहवासी मकान का उपयोग उपभोग व काम मे लेवे तो उसमे गैरसायलान उनके वारिसान हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे तथा गैरसायल संख्या दो गैरसायल संख्या तीन के समक्ष बेचान रजिस्ट्री प्रस्तुत करे तो उसके पक्ष मे म्युटेशन पारित नही करे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थीति को प्रार्थनापत्र के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई और उस पद मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत बैचाननामे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है, तथा यह प्रार्थना पत्र की है कि वादग्रस्त आराजी पंजीकृत बैचाननामा दिनाँक 29.06.1985 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा क्रय लिए जाने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का क्रय दिनाँक से ही खातेदारी अधिकार निहित हो चुके हैं, परन्तु प्रश्नगत बैचाननाम के आधार पर नामांतरण नहीं होने से जमाबंदी में वर्तमान में भी विक्रेता का ही नाम चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ठ है कि खसरा संख्या 315/2 में प्रतिवादी सोहननाथ पुत्र गुलाबनाथ का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। पंजीकृत बैचाननामा दिनाँक 29.06.1985 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सोहननाथ आत्मज गुलाबनाथ जो कि प्रतिवादी है, द्वारा खसरा संख्या 315/2 की आराजी का बैचान कर दिया था। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में पंजीकृत बैचाननामा होनें से प्रथम-दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं, वहीं भू. अभिलेख में वर्तमान में [illegible] का नाम दर्ज होनें से यह पूरी संभावना है कि वह इसका पश्चातवर्ती [illegible] या

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.10.22 12:16:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्य रीति से हस्तांतरित कर सकता हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्रेता एवं वादीगण को ही होगा अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करनें की दशा में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होनें की प्रबल आशंका है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी क्रय शुदा होनें से एवं अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब या आपत्ति प्रस्तुत नहीं करनें से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः निष्कर्षतः हम वादग्रस्त आराजी के सबंध में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी ग्राम–रास–1 तहसील– जैतारण, जिला–पाली की खसरा संख्या 315/2 रकबा 3–18 बीघा का ताफैसला वाद रहन, बैचान, लीज एवं किसी भी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं करें, भू–अभिलेख की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, (जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 13/10/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, (जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.22 12:16:05 IST
Reason: SelfAttested